13/12 आपत्ती पेश है कि अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा सरकारी अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता को 2-3 बार आवाज दिलायी गयी लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्ति के पूर्व मुकदमा आधारित में आवाज दिलायी गयी लेकिन कोई भी अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता नहीं हुए। लिहाजा अपील अक्षम होकर अवमत किये जाने योग्य है। अपील में खारिज - वापसी की डिक्री प्रमाणित प्रति पक्षकार अधिवक्ता को अग्रिम कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट कलक्टर बाद नथित विभागीय दायित्व दर्ज हो।

25/22

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा.